20.12.16

वादी द्वारा पुकार लगाये जाने पर कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादी एकपक्षीय है। प्रकरण एकपक्षीय वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादी साक्ष्य अनुपस्थित है।

वादी साक्ष्य अनुपस्थित है। सांय 5 बजे तक वादी की ओर से कोई उपस्थित न होने के परिणामस्वरूप आदेश 17 नियम 3(बी),2 सीपीसी के अधीन अग्रेषित होते हुए आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के अधीन वाद वादी व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।

व्यय तालिका बनाई जाये। प्रकरण का प्रिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जाये।

सही / — (गोपेश गर्ग) 1—सी०जे0—2,गोहद

ATTHER A PROPERTY AND A PROPERTY OF THE PROPER